

belongs to the workers. We have been raising this issue in this House on a number of occasions. Everytime—I have sympathy for the Labour Minister—the Labour Minister would come and say that they have taken up the matter with the Ministry of Finance and the Ministry of Finance is not agreeing to it. Therefore, the most important question is whether the Government has a right to exploit the money of the workers as a chief source of the fund. Sir, the rate of interest is 8.5 per cent. The Government is utilising this Fund at a very low rate of interest. The impact of this is that the pension available to a common worker is very low. The Government is not going to index the pension. The Government is not able to expand the pension scheme. The whole working class is suffering because of the low yield of the corpus. Therefore, my specific question is whether the labour Ministry will stubbornly take up this matter with the Ministry of Finance to ensure that workers are allowed by the Government to have a better rate of interest on their own corpus.

Secondly, I would like to know whether the Ministry of Finance believes that this should be done. This is not a bipartite agreement between the two. I would also like to know whether the Ministry of Labour believes that the Ministry of Finance should agree to the recommendation made by the Standing Committee on Labour. ...*(Interruptions)*... Let him say. ...*(Interruptions)*... It is unusual for the Minister to become helpless when the workers are being exploited.

डॉ सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, प्रश्न ऐसा नहीं है और जैसा कि कहा जा रहा है कि इसका लाभ नहीं मिल रहा है, मैंने बताया है कि 1,70,000 लोग ...*(व्यवधान)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, the interest rate on the corpus is low. Therefore, the yield is low. Let him admit that.

डॉ सत्यनारायण जटिया: मैंने आपको डेटिल्स नहीं दिए हैं, आप चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ।

श्री गुरुदास दासगुप्त: डेटिल्स क्या हैं? क्या इंटेरेस्ट रेट कम है या यील्ड कम है?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The question is, they have to get interest at the rate of 12.5%. It is under consideration of the Ministry of Finance. The House would like to have an assurance from the hon. Minister that he will take it up strongly with the Ministry of Finance and the Government will come out with a statement that 12.5% would be given. That is all. Nothing else.

डॉ सत्यनारायण जटिया: जहाँ तक सदस्य की भावना का मत है, मैं अपनी ओर से इसके बारे में पुष्टीकरण कोशिश करने का आश्वासन देता हूँ।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, after an assurance from the hon. Minister, I do not think that there is anything to ask. It is more so because the coverage has been increasing and the hon. Minister has also mentioned that from time to time interest rates have also been increased in view of the changed circumstances. He has given an assurance. Therefore, I do not propose to ask any supplementary.

दिल्ली में क्वार्टरों का बिन-बारी आवंटन

\*283. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 8700 क्वार्टर बिन-बारी के आधार पर आवंटित किये थे;

(ख) यदि हां, तो इन आवंटनों के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बिन-बारी आवंटन के अधिकार को बहाल करने का विचार रखती है; और

(घ) दिल्ली में क्वार्टर प्राप्त करने के लिए किस-किस टाइप के आवास के लिए ऐसे कितने-कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जैठमलानी): (क) से (घ) एक विवरण सभा फल पर रखा है।

#### विवरण

(क) जी, हां। 1991-95 के दौरान दिल्ली/नई दिल्ली में बिना-बारी आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 8768 क्वार्टर आबंटित किए गए थे।

(ख) की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुलग्नक "क" पर है।

(ग) सिविल रिट याचिका संख्या 585/94 पर, सर्वोच्च न्यायालय के 23.12.96 के आदेश के अनुसरण में, सामान्य पूल रिहायशी वास के विवेकाधिकार/बिना-बारी आबंटन बाबत संशोधित दिशा-निर्देश 17.11.1997 को जारी किये गये हैं, जिनकी प्रति अनुबंध "ख" पर है। इन दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ चिकित्सा, सुरक्षा और कार्यप्रकृति के आधारों पर बिना-बारी आबंटन का प्रावधान है और ऐसे आबंटन प्रत्येक टाइप के वासों की वर्ष विशेष में होने वाली रिक्तियों के 5% की सीमा के भीतर किए जाएंगे।

(घ) आज की तारीख तक बिना-बारी आबंटन (टाइप-वार) हेतु विचाराधीन आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:—

टाइप-I	36
टाइप-II	209
टाइप-III	10
टाइप-IV	7
टाइप-IV (स्पेशल)	2
टाइप-Vए (डी-II)	9
टाइप-Vबी (डी-I)	6
टाइप-VIए (सी-II)	2

#### अनुलग्नक—“क”

सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (सिविल) सं० 585/94 में अपने 23-12-96 के फैसले में टाइप-III व उच्च टाइप के उन बिना बारी आबंटितियों को बेदखली का आदेश दिया था, जो बारी पर आबंटन में नहीं आ रहे थे। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि ऐसे आबंटितियों से बिना बारी आधार पर कब्जा अर्वाध के लिये टाइप-III बाबत दो गुनी लाइसेंस फीस और टाइप-IV एवं उच्च टाइप के लिए तीन गुनी लाइसेंस फीस वसूली जायेगी। लेकिन ऐसे आबंटितियों

को बेदखली के खिलाफ विभिन्न पक्षों से प्राप्त अनुरोधों तथा ऐसे आबंटितियों को मानवीय आधार पर बेदखली से बचने के लिए सभी पार्टियों की 15-5-97 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, सरकार ने 21-6-97 को बिना बारी सरकारी वासों का आबंटन (वैधीकरण) अध्यादेश, 1997 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश ने बेदखल होने वाले बिना बारी आबंटितियों को संरक्षण दिया; किन्तु संरक्षण का यह लाभ उन कर्मचारियों के लिए नहीं था, जिन्होंने सरकारी वास किरायेदारी पर चढ़ाया था, या जिन्होंने ऐसे आबंटन पक्षों को तोड़मरोड़ कर पेश करके या छोखाधड़ी से या गैरकानूनी धन अदायगी करके प्राप्त किया था, अथवा ऐसा आबंटन कर्मचारी की हकदारी से उच्च टाइप के लिए था। तथापि, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, सभी बिना बारी आबंटितियों से बड़ी हुई लाइसेंस फीस (बक़ायी एशि सहित) तब तक देने की अपेक्षा की गई है, जब तक की वे अपनी बारी पर आबंटन के दायरे में नहीं आते। बिना बारी आबंटन प्राप्त, जो कर्मचारी अपने हकदारी से उच्च टाइप के सरकारी वासों पर कब्जा थे, उन्हें जहां कहीं संभव हुआ है, वैकल्पिक वास की पेशकश की गई है, अथवा 21.6.97 के अध्यादेश के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में इन वासों को खाली करने के नोटिस जारी किये गये हैं। लेकिन ऐसे आबंटन प्राप्त अनेक कर्मियों ने बेदखली के खिलाफ केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल/दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे प्राप्त कर लिया है और मामला न्यायाधीन है।

#### अनुबंध—ख

सं० 12035/2/97-नीति-II (खंड-II)

भारत सरकार

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

संपदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17.11.1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दिल्ली में साधारण पूल रिहायशी आवास के विवेकाधीन आबंटन हेतु मार्गदर्शन तैयार करना।

अनु० नि० 317-ख-25 के उपबंधों के तहत सरकारी रिहायशी आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 में, लिखित रूप में कारण रिकार्ड करते हुए, सरकार किसी अधिकारी अथवा अधिकारियों के वर्ग अथवा रिहायश के टाइप के मामले में आबंटन नियमों के किसी एक अथवा सभी उपबंधों में ढील दे सकती

है। इन उपबंधों के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के प्रत्येक मामले के ग्रुप-दोषों के आधार पर पहले भी नियमों में छूट देकर आबंटन किए गए हैं। हालांकि, बिना-बारी के आबंटनों की बढ़ती हुई बहुत अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के रूप में एक रिट याचिका (सिविल) सं० 585/94 (शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ) दायर की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 23.12.96 के अपने अंतिम आदेश में सरकार को निर्देश दिया कि विवेकाधीन/बिना-बारी के आबंटनों को नियंत्रित करने तथा उनमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस संबंध में उचित नियम बनाए जाएं तथा उन्हें विधिवत रूप से अधिसूचित किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि विवेकाधीन आबंटनों की अधिकतम सीमा उस वर्ष में रिक्त होने वाले प्रत्येक टाइप के आवासों की कुल संख्या का 5 प्रतिशत हो।

2. तदनुसार, मामले पर सरकार ने विचार किया और यह निर्णय लिया कि विस्तृत मार्गदर्शों सिद्धान्त बनाए जाएं जो भविष्य में सरकारी आवास के विवेकाधीन आबंटनों को नियंत्रित करेंगे। विवेकाधीन आबंटनों की अनुमति सेवारत सरकारी कर्मचारियों को केवल चिकित्सा, सुरक्षा तथा कार्यात्मक आधार पर दी जायेगी। चिकित्सा, सुरक्षा तथा कार्यात्मक आधारों पर ऐसे आबंटन जो सामान्य नीति निर्देशों (अनुबंध-III) के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें इस उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से गठित अधिकारियों की दो समितियों के माध्यम से किया जायेगा, जो प्रत्येक अनुरोध पर निर्धारित नीति मार्ग-दर्शनों के तहत विचार करेंगी। समितियों का गठन निम्नानुसार होगा:—

(क) टाइप-4 (विशिष्ट) एवं इससे ऊपर वाले आवासों के टाइप (होस्टल सहित)

- |   |         |
|---|---------|
| (1) सचिव, शहरी विकास  | अध्यक्ष |
| (2) सचिव, कार्मिक (जहां प्रस्ताव अपर सचिव एवं समकक्ष या इससे ऊपर के अधिकारियों से संबंधित हो) | सदस्य   |

या

स्थापना अधिकारी (जहां प्रस्ताव उप सचिव/निदेशक, संयुक्त सचिव तथा समकक्ष या संवर्धक पुल अधिकारी से संबंधित हो)

- |   |            |
|---|------------|
| (3) संयुक्त/अपर सचिव (संपदा मामलों का प्रभारी)                  | सदस्य      |
| (4) दो चिकित्सा विशेषज्ञ (केवल चिकित्सा मामलों के लिए)          | सदस्य      |
| (5) एक सचिव/अपर सचिव स्तर का अन्य मंत्रालयों से सहयोजित अधिकारी | सदस्य      |
| (6) संपदा निदेशक  | सदस्य सचिव |
- (ख) टाइप-4 या उससे निचले टाइप के आवासों का आबंटन
- |  |         |
|--|---------|
| (1) संयुक्त सचिव (विषय से संबंधित)                               | अध्यक्ष |
| (2) संयुक्त सचिव (स्टाफ कल्याण) (कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय) | सदस्य   |
| (3) दो चिकित्सा विशेषज्ञ (केवल चिकित्सा मामलों हेतु)             | सदस्य   |
| (4) संपदा निदेशक   | सदस्य   |
| (5) एक संयुक्त सचिव स्तर का अन्य मंत्रालयों से सहयोजित अधिकारी   | सदस्य   |
| (6) अपर संपदा निदेशक/संपदा सदस्य-सचिव निदेशक-II                  |         |

नोट:—शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय का कार्मिक, लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य किसी मंत्रालय से सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव भारत सरकार यथोचित रैंक का कोई अधिकारी विशिष्ट रूप से आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा आमंत्रण देते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव बैठक की कार्यसूची में हैं उनमें से किसी के प्रतिनिधि को आमंत्रित न किया जाए। ऐसा सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से सहयोजित होगा तथा रेटेशन के सिद्धान्त पर बुलाया जाएगा।

3. समिति द्वारा अपनाये जाने वाले मार्गदर्शन/कार्य प्रणाली

1. समिति उचित माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार

बैठक आयोजित करेगी। उप-सचिवों और उससे ऊपर के मामलों में अनुरोध संबंधित विभाग के सचिव और अन्य सभी मामलों में विभाग के अध्यक्ष/ संयुक्त सचिव (प्रशा) द्वारा विशेष रूप से अनुसंशित की जानी चाहिए।

2. समिति विवेकाधीन आबंटनों के मामले में संबंधित अधिकारी की पात्रता वाले टाइप से एक टाइप निचली श्रेणी में आबंटन हेतु विचार करेगी।

3. सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् प्रभारी मंत्री) को आबंटन की सिफारिश करते समय समिति प्रत्येक मामले में विवेकाधीन आबंटन प्रदान किए जाने के विशिष्ट कारणों को बताते हुए लिखित सिफारिश करेगी। जहां मंत्री की राय समिति की सिफारिशों से भिन्न होगी, वहां वह भी कारणों को लिखित में रिकार्ड करेगा।

4. चिकित्सा आधारों पर सरकारी आवास के प्राथमिक रूप से आबंटन किए जाने संबंधित विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त, जो कि (सभी टाइप्स से विवेकाधीन आबंटन) एक वर्ष में उपलब्ध होने वाले प्रत्येक टाइप में रिकॉर्डों के 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत है, उन्हें अनुबंध-1 में दर्शाया गया है।

5. सुरक्षा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन अनुबंध-II में दी गई शर्तों को पूरा करने पर 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के तहत किए जाएंगे।

6. कार्यात्मक आधारों पर प्राथमिकता रूप में आबंटन, जैसा कि अनुबंध-III में दर्शाया गया है, संपदा निदेशालय द्वारा गणमान्य व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित कोटे के तहत उपयुक्त पैर 2 में गठित समितियों को प्रस्तुत किए बिना किए जाएंगे क्योंकि इन मामलों में कोई विवेकाधिकार निहित नहीं है जो कि सम्पूर्ण आबंटनों को 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के तहत होंगे।

7. समितियों कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य मामले पर भी, जो उपरोक्त किसी श्रेणी के तहत नहीं आता है विशेष अनुकम्पा आधार पर रिहायशी आवास का आबंटन करने हेतु विचार कर सकते हैं तथा सिफारिश कर सकती है। हालांकि ऐसे आबंटन प्रत्येक टाइप में एक वर्ष में (टाइप-1 से टाइप-5 तक केवल) कुल 5 आवासों से अधिक नहीं होंगे और जो एक वर्ष में टाइप में सम्पूर्ण आबंटनों की 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा के अन्तर्गत होंगे।

4. गैर-सरकारी व्यक्तियों/गैर सरकारी संगठनों हेतु आबंटन

गैर सरकारी व्यक्तियों जैसे सुविख्यात कलाकारों, राष्ट्रीय स्तर के कार्यों में लगे हुए प्रसिद्ध प्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों या विज्ञान, खेलकूद या सामाजिक सेवाओं के योग में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं तथा गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों को प्रदान किए गए केवल आबंटन वाला आबंटन वर्ष की समाप्ति तक ही वैध होंगे। गैर सरकारी संगठन सरकारी रिहायशी आवास के लिए पात्र नहीं होंगे और न ही आबंटन की अवधि को बढ़ाए जाने से संबंधित इसी प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा सिवाय उन मामलों के जिनमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय हित निहित होंगे और इन्हें मंत्रिमंडल की आवास समिति के अनुमोदन पर दिया जायेगा। इसी प्रकार गैर-सरकारी व्यक्तियों/प्राइवेट व्यक्तियों जिनमें स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं, को विवेकाधीन आबंटन केवल सी०सी०ए० के अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रदान किये जायेंगे यदि ऐसा करना राष्ट्रीय हित या अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को आबंटियों की मृत्यु होने के उपरान्त केवल छः महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास टिंटन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

5. उपरोक्त श्रेणियों के सभी विवेकाधीन आबंटनों को सरकार द्वारा एक कैलेंडर वर्ष के आवासों के प्रत्येक टाइप में उपलब्ध होने वाली सम्पूर्ण रिकॉर्डों के अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा के तहत प्रदान किया जाएगा और किसी भी परिस्थितियों में ऐसे आबंटन इस सीमा से अधिक नहीं होंगे।

6. ऐसे सभी आबंटियों की सूची संपदा निदेशालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित की जाएगी ऐसे आबंटियों की एक वार्षिक सूची संसद के प्रत्येक सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है।

7. ये आदेश, सरकार द्वारा चिकित्सा, कार्यात्मक तथा सुरक्षा आधारों पर बिना-बारी/तदर्थ/विवेकाधीन आबंटनों से संबंधित तथा गैर सरकारी व्यक्तियों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों, विख्यात कलाकारों, समाज सेवकों आदि गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों के संबंध में जारी किए गए पुराने सभी आदेशों पर अधिमान्य होंगे। उन्हें सुपरसीड करेगे।

8. ये आदेश तुरन्त प्रभावी होंगे।

हस्ता० / —

(रत्न देव सहाय)

संपदा उप निदेशक (नीति)

सेवा में,

1. सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संपदा निदेशालय के सभी अनुभाग तथा अधिकारी।
3. संपदा निदेशालय के सभी प्रादेशिक कार्यालय।
4. राज्य सभा/लोक सभा सचिवालय।

प्रतिलिपि प्रेषित:—

1. राज्य मंत्री (शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के निजी सचिव)।
2. सचिव (शहरी विकास) के प्रमुख वैयक्तिक सचिव।
3. अपर सचिव (शहरी विकास) के वैयक्तिक सचिव।
4. संयुक्त सचिव (शहरी विकास/संपदा निदेशक/संपदा निदेशक-II के वैयक्तिक सचिव।

हस्ता० / —

(महेन्द्र सिंह)

संपदा सहायक निदेशक (नीति-II)

#### अनुबंध-1

कार्यालय ज्ञापन सं० 12035/2/97-नीति-II  
(खंड-II) दिनांक 17.11.97 के अनुच्छेद 3(4)  
में निर्दिष्ट अनुबंध

चिकित्सा आधार पर

चिकित्सा आधार पर भूतल/केन्द्रीय इलाके सहित आबंटन सरकारी कर्मचारी और उनके पति, पत्नी, आश्रित बच्चों और आश्रित माता-पिता को निम्न बीमारियों से पीड़ित होने की दशा में किया जायेगा।

- (ए) क्षय रोग:—फुसफुसीय क्षय रोग (केवल गंभीर मामलों में)
- (बी) कैंसर के मामले: विषाणु नीहोपलैज्म
- (सी) हृदय रोग: अति गंभीर प्रकृति के रोग और जिनमें शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता हो।

(डी) विकलांग व्यक्ति:

(1) दृष्टिहीन: वे व्यक्ति जो निम्न में से किसी एक से ग्रस्त हो:—

(1) पूर्ण दृष्टि निहीनता:

(2) बेहतर आंख में करेक्टिंग लेंसों के साथ दृष्टि की तीक्ष्णता 6/90 अथवा 20/200 (स्लेटन) से अधिक न हो:

(3) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा का कोण 20 डिग्री या उससे खराब हो।

(2) बाधित: बेहतर कान में 90 डेसीबल से अधिक ध्वनि का ह्रास होना (अत्यधिक क्षीण होना (अथवा दोनों कानों में सुनाई न देना।

(3) अस्थि संबंधी विकलांगता:—40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलंगता

(4) मानसिक विकलांग/सपास्टिक आश्रित

नोट:—

- (1) चिकित्सा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन के लिए ऊपर दी गई बीमारियों की सूची संपूर्ण नहीं है। विवेकाधीन आबंटन करने हेतु समितियां अन्य जीवन-घाती बीमारियों अथवा अन्य गंभीर विकलांगताओं जो कि स्थायी तौर पर क्षीण कर देती है, को आधार बना सकती है।
- (2) जिन प्रस्तावों में विकलांग आश्रित माता-पिता ही केवल विवेकाधीन आबंटन प्राप्त करने के आधार हैं, ये समितियों को अपनी सिफारिश करने से पूर्व प्रत्येक के तथ्यों और परिस्थितियों और गुणों-अवगुणों की सावधानी पूर्ण जांच करनी चाहिए।

#### अनुबंध-II

कार्यालय ज्ञापन सं० 12035/2/97-नीति-II  
(खंड-11) दिनांक 17.11.97 के अनुच्छेद 3(5)  
में निर्दिष्ट अनुबंध।

सुरक्षा आधार:—

सुरक्षा आधारों पर विवेकाधीन आबंटन निम्न शर्तों के आधार पर किए जायेंगे।

(1) सामान्य पूल के आवास केवल जेड+ (जेड प्लस) अथवा उससे ऊँची सुरक्षा श्रेणी धारक व्यक्तियों को आवंटित किए जाएंगे।

(2) ऐसे व्यक्तियों की सामान्य पूल आवास के औचित्य हेतु इसका जनहित से स्पष्ट संबंध होना चाहिए।

गृह मंत्रालय प्रत्येक मामले में जांच करेगा कि जैड+तथा उच्चतर सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति को सरकारी आवास का आवंटन जनहित में है तथा पूर्व में उसके द्वारा अपने सरकारी पदों पर की गई ड्यूटी के कारण उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। गृह मंत्रालय यह मत भी व्यक्त करेगा कि संबंधित व्यक्ति को दिल्ली में आवास उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है।

(3) संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा आधार पर सरकारी आवास के आबंटन का अनुरोध प्राप्त होने पर गृह मंत्रालय यह पता लगाएगा कि क्या जैड सुरक्षा श्रेणी के व्यक्ति का स्वयं का अथवा उसके पति/पत्नी के नाम दिल्ली में कोई आवास है और क्या उसी आवास में सुरक्षा प्रबंध किए जा सकते हैं।

(4) सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति को दिल्ली में सरकारी आवास उपलब्ध करने की आगे की कार्यवाही गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर संपदा निदेशालय द्वारा की जाएगी। आबंटन एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसे खतरे की आशंका, जिसकी गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षा करेगा, के आधार पर अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पर सी०सी०ए० के स्तुष्ट होने पर, एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(5) सुरक्षा पाने वाले इन व्यक्तियों को टाइप-6 से उच्चतर टाइप का आवास नहीं दिया जाएगा, वरन् प्रत्येक मामले में खतरे की आशंका के आधार पर गृह निगरान भी हो सकता है।

(6) आवेदक अग्रिम रूप से बाजार दर/विशेष लाइसेंस फीस का भुगतान करने की अपनी इच्छा/क्षमता की पुष्टि करेगा तथा लगातार तीन माह अथवा अधिक बार भुगतान में चूक होने पर उन्हें बेदखल किया जा सकेगा।

(7) सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को आवंटित सरकारी आवास के लिए बाजार दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित की जायेगी। यदि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति का दिल्ली में मकान है तो वह उस मकान को सरकारी आवास के अपने दखल की अवधि के दौरान सरकार को समर्पित करेगा। ऐसे मामले में सरकारी आवास के दखल की अवधि के लिए बाजार दर के स्थान पर विशेष लाइसेंस फीस प्रभारित की जाए।

### अनुबंध-III

का०ज्ञा०स० 12035/2/97-नीति-II  
(खंड-11) दिनांक 17.11.97 के पैरा 3(4) के संदर्भ में अनुबंध।

#### (3) कार्यात्मक आधार:

मंत्रियों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, के साथ काम करने वाले निजी स्टाफ को संबंधित आबंटन वर्ष की क्रिशियल तारीख को उनकी परिलब्धियों के आधार पर उनकी पात्रता से एक टाइप नीचे के आवास का आबंटन किया जायेगा। हालांकि, मंत्रियों/प्रधान मंत्री के वैयक्तिक सचिव क्रिशियल तारीख पर यदि उपलब्ध हो तो अपनी पात्रता के सरकारी आवास का आबंटन पाने के हकदार होंगे। विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के निजी स्टाफ को आवास का आबंटन एक वर्ष में प्रत्येक टाइप के आवसों से संबंधित होने वाली रिक्तियों की पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अन्दर के अन्दर किये जायेंगे। निम्नलिखित प्राधिकारियों के निजी स्टाफ उपरोक्त प्राथमिकता आबंटनों के लिए पात्र होंगे:—

(1) प्रधान मंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण कार्मिक जिनके बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय से कम प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव स्तर की सिफारिश होगी।

(2) मंत्रियों के साथ कार्यरत निजी स्टाफ

(1) कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री:—निजी स्टाफ के तीन सदस्य (ग्रुप "डी" के अलावा) तथा एक जमादार/चपरसी/इसके अतिरिक्त, एक ग्रुप "डी" कर्मचारी को मंत्री महोदय की सिफारिश पर आवास को बदली दे दी जाए।

(2) उपमंत्री/संसदीय सचिव:

निजी स्टाफ के दो व्यक्ति (ग्रुप "डी" के अतिरिक्त) तथा एक जमादार/चपरसी/इसके अतिरिक्त एक ग्रुप "डी" कर्मचारी को मंत्री महोदय की सिफारिश पर आवास को बदली दे दी जाए।

ऐसे आबंटनों को निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाएगा:—

(क) निजी स्टाफ को मंत्री, उपमंत्री या संसदीय सचिव की सिफारिश पर ऐसे प्राथमिकता आबंटन पहले न किये गये हों,

(ख) मंत्री महोदय के विभाग में परिवर्तन आदि हो जाने से ऐसे आबंटन के लिए कोई नई स्वीकृति जारी नहीं

की जाएगी, यदि स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें उपरोक्त आधार पर उनकी सिफारिश पर साधारण पूल क्वार्टरों का आबंटन किया गया हो, उनके साथ कार्यरत हो।

(ग) नए मंत्री के मामले में यदि उनकी सिफारिश पर उनके निजी स्टाफ के किसी भी सदस्य को आवास आबंटित नहीं किया गया है तो इस बात के होते हुए भी उनके निजी स्टाफ के कुछ सदस्यों के पास साधारण पूल आवास है, उनकी सिफारिश पर उपरोक्त निर्धारित सीमित संख्या में प्राथमिकता आबंटन प्रदान कर दिए जाएं।

(घ) यदि मंत्री का विभाग परिवर्तित हो जाता है या मंत्री कार्यालय त्याग देते हैं और उसके बाद उसी मंत्रालय या अन्य मंत्रालय में मंत्री नियुक्त हो जाते हैं, यदि उनके निजी स्टाफ के वे सदस्य जिन्हें पहले उनकी सिफारिश के आधार पर साधारण पूल आवास से प्राथमिकता आधार पर आबंटित किए गए और वे उनके निजी स्टाफ में बने रहते हैं तथा उपरोक्त कोटा पूरा हो जाता है तो आगे और कोई प्राथमिकता आबंटन या आबंटन की बदली नहीं आएगी।

(3) मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारी:—

मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च पदों पर कार्यरत वे अधिकारी जिनकी मंत्रिमंडल के कागजातों को जांचने की और बैठक हेतु प्रबंध करने की सीधी जिम्मेदारी है और जैसा मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव ने अनुशासित किया है, आबंटन हेतु पात्र है।

(4) लोक सभा/राज्य सभा में विपक्ष के नेता:—

निजी स्टाफ के तीन व्यक्ति (ग्रुप "डी" को छोड़ कर) तथा एक जमादार/चपरसी।

(5) राज्य सभा के सभापति/उपसभापति/लोक सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/भारत के मुख्य न्यायाधीश/योजना आयोग के उपाध्यक्ष:—

निजी स्टाफ के तीन व्यक्ति (ग्रुप "डी" को छोड़ कर (तथा जमादार/चपरसी के लिए एक मकान।

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों/योजना आयोग के सदस्यों:—

निजी स्टाफ के लिए दो मकान (ग्रुप "डी" को छोड़ कर) तथा जमादार/चपरसी के लिए एक मकान।

(7) मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्तों/भारत सरकार के सचिवों को:—

निजी स्टाफ के सदस्यों को दो मकान ग्रुप "डी" को छोड़कर) तथा जमादार/चपरसी को एक मकान।

(8) पूर्व राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री प्रत्येक के निजी स्टाफ के दो व्यक्तियों को ही सामान्य पूल से विवेकाधीन अधिकार द्वारा रिहयरी आबंटन प्रदान किया जा सकता है कि वे गणमान्य व्यक्ति दिल्ली में रहे हों।

नोट:—

जहां तक व्यवहारिक हो आवास का आबंटन केन्द्रीय क्षेत्र में किया जाए। हालांकि कोई निजी स्टाफ एक से अधिक बदली लेने का हकदार नहीं होगा, अन्यथा उसका आवेदन अपनी बारी पर परिवर्तन का हिस्सा बन जायेगा। जिसे परिवर्तन, प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध करके निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जायेगा।

श्री ओंकार सिंह लखावत: महोदय, जो उत्तर मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखा है, उसमें लगभग 8768 ऐसे आवास हैं जो कैसर, टी०बी०, हार्ट, गूंगे, बहरे, लूले, पागल, इन लोगों के लिए जो कैटेगरी होनी चाहिए थी बारी के बाहर आबंटन की, उनके मकान लगभग पिछले वर्षों के अन्दर आउट ऑफ प्राइवॉरिटी आबंटित कर दिए गए। इसलिए मेरे प्रश्न का भाग "क" यह है कि जितने मकान सामान्य श्रेणी के लोगों के आउट ऑफ प्राइवॉरिटी आबंटित कर दिये गये, क्या सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए उतने अतिरिक्त आवास सरकार उपलब्ध करवेगी? मेरे पहले प्रश्न का भाग "ख" यह है कि ऐसा भविष्य में कोई अवैध आबंटन न हो, इसके लिए कारगर कदम उठाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, यह सप्लीमेंटरी प्रश्न संख्या एक है।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I am sorry, probably, the hon. Member has not carefully looked into the annexures which we have supplied. In about 8,000 cases, I do not wish to use a very strong word but I would only use a mild word, irregular out-of-turn allotments have been made. I wish to make it clear that now we are talking about the past. It has nothing to do with the Ministry after I have taken over the charge. All these cases have been reported to the Supreme Court and the Supreme Court has examined each of these 8,000 cases and has

finally come to a conclusion that 1,637 persons are to be evicted. The Supreme Court having made that order, the department got into action. They took action which the Supreme Court required them to take in accordance with the decision. But, then, all parties met together and wanted to protect all those who were to be evicted by the Supreme Court's order. In accordance with the general consensus of all parties, an Ordinance was passed and the Ordinance practically, protected everybody who was ordered to be evicted by the Supreme Court except three categories which the hon. Member will find in Annexure-A of our annexures. There are three categories which are not protected through the Ordinance. These are: (a) Cases in which the allottees were involved in sub-letting the Government residence; (b) Allotment has been obtained by making misrepresentation of facts or by fraudulent means or by payment of illegal gratification; and (c) Where such allotment is of a higher type of Government residence than the entitlement of the occupant. The Ordinance did not protect these three categories. These three categories which were not protected by the Ordinance have, in turn, to be identified. The C.B.I. has been put upon the job of identifying a, b and c above. I must tell you that the net result has been that the C.B.I. has not yet identified anybody. So against a large number which was desired to be evicted by the Supreme court and some which were protected by the Ordinance, the net result has been that only about 16 per cent have so far been evicted. The rest have obtained stay orders from one court or the other. Now, after the Supreme Court's judgment the Cabinet had to sit again. The Government decided to pass new guidelines keeping in mind the directions of the Supreme Court and the irregularities pointed out in earlier allotments. So, new guidelines were formulated by the Government in November, 1997. In accordance with those new guidelines we are now getting a maximum of 5 per cent

out-of-turn allotments and that also in perfect compliance with the principles which are laid down in the written guidelines and there are two committees which would go into these out of turn allotments. I can assure this House that nothing irregular or out-of-the-way or corrupt is being done. However, they are still called out-of-turn allotments.

**श्री ओंकार सिंह सरावत:** महोदय, मेरे पूरक प्रश्न के एक भाग का उत्तर मंत्री महोदय ने दिया है। मैंने निवेदन किया है कि 8768 जो क्वार्टर्स दिए हैं वह जो बारी वाले थे उनके नहीं थे, वह आउट आफ टर्न वालों को दे दिए गए, उसके लिए वह एंटाइटल नहीं थे और इसलिए सामान्य श्रेणी के लोगों को उतने क्वार्टर्स से वंचित कर दिया गया। तो क्या सामान्य श्रेणी के लिए सरकार उतने आवास बनाकर देने के लिए तैयार है? मेरा प्रश्न यह था। मैंने बहुत गहनता से उनके उत्तर का अध्ययन किया, बहुत श्रद्धापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि मैंने उसको देखा नहीं है। मैंने हिन्दी-अंग्रेजी दोनों देखा है, समझने की कौशिला की है। कृपया मेरे उस भाग का उत्तर फरमाएँ।

**SHRI RAM JETHMALANI:** Sir, the Supreme Court took into account the poverty and other circumstances which the hon. Member has in mind. It showed its utmost sympathy by saying, "Even though the allotments were irregular, class I and class II accommodations will not be disturbed." That was the kind of accommodation which in the charge of the poorest people who had all these circumstances of equity in their favour. The Supreme Court itself said, "Do not disturb these." So, that matter was fully taken care of by the Supreme Court itself. The Supreme Court only decided that the persons who had no claim to sympathy should be evicted. But, even those who had no claim to sympathy were finally protected by the Ordinance. And even the Ordinance did not protect three categories, those are now being protected virtually by one or the other stay order issued by the courts. So far as the last question is concerned, we are trying to do something now. The Hon. Member should know that the Government is committed to build two million



houses a year, and once all those houses get constructed within a year the scarcity will go and the inconvenience which the Member has in mind and the sympathy which he has will all be looked after.

श्री मोहम्मद सलीम: महोदय, मेरा सवाल मंत्री महोदय से नहीं है मैं आप से रिवेस्ट करूंगा कि अभी लखावत जो अपने पूरक प्रश्न में मेटली हेंडिकेप और फिजिकली हेंडिकेप प्रिंस में कह रहे थे कि मकानों का उनका कोटा उनको न देकर के दूसरों को दिया गया है। लेकिन जिस तरह से वह बोले-अन्धे, लूले और फगल, तो ऐसी शब्दावली से हम राज्य सभा में क्या मेसेज दे रहे हैं। इस तरह से न बोल करके वह शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग कह सकते थे। ऐसी शब्दावली अगर रिकार्ड में जाएगी तो ठीक नहीं होगा। यह हमारा सवाल है।

الاشري محمد سليم : مهودى - مير اسوال  
منزى مهودى سے نہیں ہے - میں آپ  
سے ریکوہسٹ کروں گا کہ ایسے رکھات  
جی اپنے پورے پر مشتمل میں مینٹل ہیلتھ  
ٹیسٹ اور فزیکل ہیلتھ ٹیسٹ کیجئے  
میں کہہ رہے تھے کہ مکانوں کا انٹراکٹ  
ان کو نہ دیکر کے دوسروں کو دیا گیا ہے -  
لیکن جس طرح سے وہ بولے اندھے -  
لوہے - اور پاگل تو ایسی شہزادی  
سے ہم راجہ سبھا میں کیا میسج  
دے رہے ہیں - اس طرح سے نہ بول  
کر کہ وہ شاریک روپ سے وہ لاٹ  
اور مانسک روپ سے وہ لاٹ کہ  
سکتے تھے - ایسی شہزادی اگر ریکارڈ  
میں جائے گی تو ٹھیک نہیں ہوگا - یہ  
ہمارا اسوال ہے

MR. CHAIRMAN: Anyway that is not the question.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति महोदय, आम तौर से शहरों में गरीब लोगों के लिए मकान बनाने की घोषणाएं पूर्ववर्ती और वर्तमान सभी सरकारें करती रही हैं और ऐसी घोषणाओं के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज से 8-10 वर्ष पहले ऐसे गरीब लोगों को मकान देने के लिए अम्बेडकर आवास योजना बनाई थी। लेकिन उस योजना के तहत आज तक बहुत कम मकान आबंटित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस योजना के तहत उन गरीब और दलित वर्ग के लोगों को मकान आबंटित किए जाएंगे? यदि हां, तो कब तक?

SHRI RAM JETHMALANI: I would request the hon. Member as I would request this entire House to forget the remissness of the past. Let us now concentrate on the future. I assure the entire House that the promise which we have made will be kept and if it is not kept, as least, I will not be around.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. Now the Messages.

#### WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

CPSUs under reference to BIFR

\*284. SHRI JIBON ROY:  
SHRI DIPANKAR  
MUKHERJEE:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the names of the Central Public Sector Undertakings which are under reference to BIFR;

(b) whether Government have decided to close any of these Undertakings; and

(c) if so, the name of the same and what is Government's plan to redeploy the affected employee who have rendered less than thirty years of service?

THE MINISTER OF INDUSTRY  
(SHRI SIKANDAR BAKHAT):

(a) The names of the Central PSUs which have been referred to BIFR as on 31.3.1998 are given in the statement. (See below)